



प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-14

लखनऊ, दिनांक: 11 सितम्बर, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण/नवनिर्माण/पुनर्निर्माण कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था योजनान्तर्गत कतिपय क्षेत्रों के विभिन्न जनपदों के कुल 18 कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-आई/754014/2026, दिनांक: 25.08.2026, आई/762619/2026, दिनांक: 02.09.2026 एवं आई/761766/2026, दिनांक: 02.09.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण/नवनिर्माण/पुनर्निर्माण कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदों के अधोलिखित तालिका में उल्लिखित 18 कार्यों, जिनके सम्मुख कॉलम-10 में 5 वर्षीय अनुरक्षण सहित कार्य की अंकित लागत, जिसका कुल योग रु0 1590.34 लाख (रुपये पन्द्रह करोड़ नब्बे लाख चौतीस हजार मात्र) होता है, की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 में निर्माण लागत के सापेक्ष कॉलम-12 में अंकित कुल रु0 756.95 लाख (रुपये सात करोड़ छप्पन लाख पंचानबे हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार तथा शर्तों/प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रु0 लाख में)

क्र0 सं0	अनुमोदित कार्ययोजना क्रमांक	क्षेत्र/मण्डल	जनपद/खण्ड	विधान सभा	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी (ग्रामीण मार्ग)	क्षतिग्रस्त लम्बाई (किमी में)	निर्माण कार्य की लागत (लाख में)	5 वर्षीय अनुरक्षण की लागत (लाख में)	कुल लागत रु. (लाख में)	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	62/196	मध्य क्षेत्र	नि0ख0-1 हरदोई	हरदोई	हरदोई-शाहजहाँपुर मार्ग (गुलामऊ नगर पुलिया से सियापुर मार्ग) का पुनर्निर्माण का कार्य	VR	1.000	68.35	1.67	70.02	34.18
2	73/196	मध्य क्षेत्र	नि0ख0-1 रायबरेली	ऊँचाहार	जगतपुर मार्ग से सन्तपुर का पुनर्निर्माण का कार्य	VR	1.000	14.59	1.07	15.66	7.30
3	38/196	मध्य क्षेत्र	नि0ख0-3 लखीमपुर खीरी	निघासन	सिंगाही से नौरंगाबाद मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य	VR	2.550	411.13	21.08	432.21	205.57

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

4	33/196	मध्य क्षेत्र	नि0ख0-3 लखीमपुर खीरी	गोला	भीरा बिजुआ मार्ग से जगनपुरवा का पुर्ननिर्माण का कार्य	VR	0.800	66.98	1.64	68.62	33.49
5	25/196	मध्य क्षेत्र	प्रा0ख0 लखीमपुर खीरी	कस्तां	लखीमपुर मैंगलगंज मार्ग से ढकैया का पुनर्निर्माण का कार्य	VR	0.820	13.84	1.01	14.85	6.92
6	20/75	मध्य क्षेत्र	नि0ख0-1 लखीमपुर खीरी	धौरहरा	समर्दाहरी मोहम्मदापुर/काजवे सहित सम्पर्क मार्ग के पुर्ननिर्माण का कार्य	VR	0.500	188.34	5.07	193.41	94.17
7	25/75	मध्य क्षेत्र	नि0ख0-1 सीतापुर	बिसवां	चीनी मिल से छरासी मार्ग का पुनर्निर्माण का कार्य	VR	0.720	49.09	1.20	50.29	24.55
8	48/196	मध्य क्षेत्र	नि0ख0-1 सीतापुर	बिसवां	चन्दैहरा सम्पर्क मार्ग से भरधापुर मार्ग का पुनर्निर्माण का कार्य	VR	0.800	54.48	1.33	55.81	27.24
9	47/196	मध्य क्षेत्र	नि0ख0-1 सीतापुर	बिसवां	गनेशपुर से खानपुर सम्पर्क मार्ग का पुर्ननिर्माण का कार्य	VR	1.370	111.97	2.86	119.83	55.99
10	71/75	अयोध्या	प्रा0ख0 अयोध्या	बीकापुर	हरीपुर माइनर से हरीपुर सम्पर्क मार्ग का पुर्ननिर्माण का कार्य	VR	1.650	65.15	4.78	69.93	32.58
11	70/75	अयोध्या	प्रा0ख0 अयोध्या	अयोध्या	रामबनगमन मार्ग से कर्मा सम्पर्क मार्ग का पुर्ननिर्माण का कार्य	VR	0.450	27.02	1.01	28.03	13.51
12	56/75	बरेली	प्रा0ख0 पीलीभीत	पूरनपुर	माधोटांडा हरीपुर मार्ग से गोमती मन्दिर से लौहरपुरा तक सम्पर्क मार्ग (ग्रा0मा0) के पुर्ननिर्माण का कार्य	VR	2.750	191.92	12.09	204.01	95.96
13	64/75	बरेली	प्रा0ख0 पीलीभीत	पूरनपुर	माधोटांडा से बराही मार्ग प्रथम भाग सम्पर्क मार्ग (ग्रा0मा0) के पुर्ननिर्माण का कार्य	VR	1.100	122.82	9.01	131.83	61.41
14	65/75	बरेली	प्रा0ख0 पीलीभीत	पीलीभीत	पीलीभीत टनकपुर हाईवे से टांडा बिजैसी सम्पर्क मार्ग (ग्रा0मा0) के पुर्ननिर्माण का कार्य	VR	0.460	44.44	1.55	45.99	22.22
15	60/75	बरेली	नि0ख0-1 पीलीभीत	बरखेड़ा	बरखेड़ा चीनीमिल पश्चिम से बहादुरपुर मार्ग के शेष भाग का पुर्ननिर्माण का कार्य	VR	0.700	19.13	1.40	20.53	9.57
16	8/196	बरेली	प्रा0ख0 शाहजहांपुर	तिलहर	शाहजहांपुर मार्ग से कजरीनूरपुर मार्ग का पुनर्निर्माण का कार्य	VR	0.750	11.54	8.85	12.39	5.77
17	163/196	सहारनपुर	नि0ख0-1 मुजफ्फरनगर	चरथावल	बिरालसी से रोनीहाजीपुर मार्ग का अवशेष भाग का पुर्ननिर्माण का कार्य	VR	1.000	34.50	2.53	37.03	17.25

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

18	131/196	सहारनपुर	प्रा0ख0 मुजफ्फरनगर	खतौली	नगला कबीर से रजवाहे तक पुर्ननिमोण का कार्य	VR	0.600	18.54	1.36	19.90	9.27
					योग		19.02	1513.83	79.51	1590.34	756.95

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक: 26.08.2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर 318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
3. कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभाग की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्यसमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
4. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
5. स्वीकृत धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।
6. यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।
7. अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस- 2011-17(4)/75 दिनांक: 25-01-2011 के साथ पठित शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75 दिनांक: 11 नवम्बर 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करते हुए लोक निर्माण विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके जमा की जायेगी।
8. लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।
9. मूल्य हास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में नियमानुसार जमा करायी जायेगी।
10. प्रायोजना में यदि भूमि अध्याप्ति का प्राविधान किया गया है, तो भूमि का क्रय सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
11. यह सुनिश्चित किया जाय कि परियोजना में प्रस्तावित कार्य विभागीय नियमों/मानक के अंतर्गत है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

12. निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित मार्गों के लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में होना सुनिश्चित किया जायेगा।
13. प्रस्तावित निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार से किसानों की निजी कृषि भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा।
14. यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रस्तावित निर्माण ट्रैफिक सर्वे के अनुसार चौड़ीकरण हेतु पी०सी०यू० मानकों का पूर्णतः पालन करते हैं।
15. परियोजना की लागत व समय सीमा में बढ़ोतरी न हो इस हेतु परियोजना के निर्माण कार्य की साप्ताहिक समीक्षा सुनिश्चित की जायेगी।
16. परियोजना कार्य निर्धारित समय में पूर्ण करना तथा भविष्य में परियोजना का पुनरीक्षण न किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
17. आगणन में सम्मिलित जी०एस०टी०की धनराशि वास्तविक रूप से जिनती देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी, प्रस्तावित आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।
18. नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करने का दायित्व विभाग/कार्यदायी संस्था का होगा।
19. प्रयोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य की मात्राओं का यथावत मानते हुये लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं के निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व विभाग/कार्यदायी संस्था का होगा।
20. प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुये लागत स्वीकृत की गयी है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, सड़क की लम्बाई एवं चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में परिवर्तन एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि, शासन का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
21. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य की द्विरावृत्ति (डुप्लिकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
22. विभागीय प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
23. वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक: 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/जापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
24. लोक निर्माण विभाग में सी०सी०एल० प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ऑन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी०डी०ओ० कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- 10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक: 04.05.2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी०सी०एल० प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय जाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13.04.2022 में निहित व्यवस्था/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

25. परियोजना पूर्ण होने में विलम्ब की स्थिति उत्पन्न होने अथवा परियोजना की लागत में वृद्धि की दशा में इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग एवं मुख्य अभियन्ता (मु0-1) एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा तथा भविष्य में यदि परियोजना की लागत में वृद्धि होती है तो ऐसी दशा में लागत में बढ़ोतरी की कुल धनराशि की वसूली सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं आदि के वेतन से की जायेगी।
26. उपरिलिखित सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग एवं मुख्य अभियन्ता (मु0-1) एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 7,56,95,000 (रुपये सात करोड़ छप्पन लाख पंचानबे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक 5054043371359** चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण / नवनिर्माण / पुनर्निर्माण कार्य **मानक मद 24** वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक: 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राजेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 4- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
- 6- प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क) लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 7- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 8- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 9- संयुक्त सचिव/नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 10- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
- 11- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 12- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
- 13- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

14-राज्य योजना आयोग-1/2, उत्तर प्रदेश शासन।

15-अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

16-लोक निर्माण अनुभाग-1/2/6/7/9/10/11/12 एवं 13, उत्तर प्रदेश शासन।

17-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राजेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।

<http://shasanadesh.up.gov.in>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।